# मीरजापुर पुलिस

## —प्रेस नोट—

दिनांकः 26.03.2026

***थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा अंतर्जनपदीय चोर गैंग का पर्दाफाश, 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, दो चार पहिया वाहन, तमंचा मय कारतूस, 40 पेटी देशी शराब व शराब बिक्री की धनराशि ₹ 95,300/- नकद बरामद —***

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा चोरी, लूट-छिनैती जैसी संगीन अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अहरौरा पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम सोनपुर में शराब की दुकान में हुई चोरी से सम्बन्धित माल को बेचने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा पिकअप व कार से सोनभद्र की तरफ जा रहे है। उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 25/26.03.2026 की रात्रि में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा अहरौरा फ्लाई ओवर के पास प्रभावी चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक द्वारा वाहन को अहरौरा टोल प्लाजा के बगल से वनस्थली जंगल की तरफ घुमा कर भागने लगा तथा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी सीमित जवाबी कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1.करन बिन्द पुत्र स्व0 धर्मवीर बिन्द निवासी सिरसी नियमताबाद थाना अलीनगर जनपद चन्दौली व 2. गंगा राम बिन्द पुत्र स्व0 लालता प्रसाद बिन्द निवासी कन्हैया का पुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर के पैर में गोली लगी है । पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त करन बिन्द व गंगा राम बिन्द उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहरौरा भिजवाया गया जहां से बेहतर इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल मीरजापुर के लिए भेजा गया है जहां उसकी स्थिति सामान्य है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 02 अदद अवैध तमंचा, 02 अदद जिन्दा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, पिकअप वाहन, चोरी का 36 पेटी (कुल 1595 पैकेट) देशी शराब तथा शराब बिक्री की धनराशि ₹ 68,100/- नगद बरामद किया गया। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके 02 अन्य साथी भी है जो उनके साथ चोरी की घटना में सम्मिलित रहें, जो चोरी का माल कार से सोनभद्र की तरफ लेकर जा रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम रामपुर ढबही में एक बगीचा से मारूति सुजुकी वाहन संख्या UP 63 L 4608 से 02 अन्य वांछित अभियुक्त आर्यन यादव पुत्र स्व0 लक्ष्मण यादव निवासी विजारीडीह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली व रामभरोस साहनी पुत्र स्व0 बुद्धु प्रसाद निवासी विजारीडीह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को अंतर्गत धारा- 305(ए),331(4), 317(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। मारूति सुजुकी वाहन की तलाशी में 04 पेटी (कुल 180 पैकेट) देशी शराब व अभियुक्तों के कब्जे से शराब बिक्री की धनराशि ₹ 27,200 नकद बरामद किया गया। थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*जनपद मीरजापुर के थाना सन्तनगर, मड़िहान, कछवां, अहरौरा पर पंजीकृत 01-01 अभियोग, थाना को0देहात पर पंजीकृत 02 अभियोग तथा जनपद सोनभद्र के थाना राबर्ट्सगंज पर पंजीकृत 01 अभियोग इस प्रकार कुल 07 अभियोग अनावरित हुए ।*

*घटना कारित करने का तरीका-*

अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले क्षेत्र में 2-3 दिन पहले रेकी करते थे और इस दौरान उन मकानो को चिह्नित करते थे जिन घरों के लोग कही बाहर गये हुए हो और मकान खाली हो । मौका देखकर चिह्नित मकान या दुकान में चोरी से घुसकर सामानो नकदी आदि चोरी कर लेते थे । घटना को अंजाम देने के दौरान अभियुक्तों द्वारा अपने मोबाइल फोन को बन्द रखा जाता था जिससे उन्हे मोबाइल फोन के माध्यम से ट्रेस करना मुश्किल हो । अभियुक्तों द्वारा मुगलसराय में एक वेयर हाउस बनाया गया था जहां चोरी के माल को भण्डारित किया जाता था। जहां से चोरी के माल को छोटे-छोटे भाग में बांट कर बिहार ले जाकर बेच देते थे और प्राप्त धन को आपस में बाट लेते थे ।

*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —*

1. करन बिन्द पुत्र स्व0 धर्मवीर बिन्द निवासी सिरसी नियमताबाद थाना अलीनगर चन्दौली, उम्र 19 वर्ष (पुलिस मुठभेड़)
2. गंगा राम बिन्द पुत्र स्व0 लालता प्रसाद बिन्द निवासी कन्हैया का पुरा थाना पड़री मीरजापुर, उम्र 36 वर्ष (पुलिस मुठभेड़)
3. आर्यन यादव पुत्र स्व0 लक्ष्मण यादव निवासी विजारीडीह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र 19 वर्ष ।
4. रामभरोस साहनी पुत्र स्व0 बुद्धु प्रसाद निवासी विजारीडीह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र 26 वर्ष ।

*विवरण बरामदगी-*

मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 02 अदद अवैध तमंचा, 02 अदद जिन्दा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस।
पिकअप व मारूति सुजुकी वाहन संख्या UP 63 L 4608
चोरी की कुल 40 पेटी (कुल 1775 टेट्रा पैक) देशी शराब
शराब बिक्री की कुल धनराशि ₹ 95,300/- नकद ।

*आपराधिक इतिहास-* (करन बिन्द)

1.मु0अ0सं0-26/2023 धारा 379,411,414 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।
2.मु0अ0सं0-184/2024 धारा 305(ए),317(2),331(4) बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।
3.मु0अ0सं0-202/2024 धारा 303(2),317(2),324(2) बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।
4.मु0अ0सं0-203/2024 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।
5.मु0अ0सं0-96/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना जमलापुर जनपद मीरजापुर ।
6.मु0अ0सं0-17/2025 धारा 305,317(2),317(4) बीएनएस थाना नौगढ़ जनपद मीरजापुर ।

*आपराधिक इतिहास-* (गंगाराम बिन्द)

1.मु0अ0सं0-125/2023 धारा 34,380,411,414 भादवि थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर ।
2.मु0अ0सं0-165/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना अदलहाट मीरजापुर ।
3.मु0अ0सं0-60/2023 धारा 380 भादवि थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर ।
4.मु0अ0सं0-08/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर ।
5.मु0अ0सं0-165/2023 धारा 380,457 भादवि थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।
6.मु0अ0सं0-171/2023 धारा 380,457 भादवि थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।
7.मु0अ0सं0-197/2023 धारा 380,457 भादवि थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।

8.मु0अ0सं0-102/2023 धारा 380,411 भादवि थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।
9.मु0अ0सं0-188/2023 धारा 379,411 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
10.मु0अ0सं0-33/2023 धारा 380,411 भादवि थाना बबुरी जनपद चन्दौली।
11.मु0अ0सं0-156/2023 धारा 379 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली।
12.मु0अ0सं0-162/2023 धारा 380 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली।

*पंजीकृत अभियोग —*

मु0अ0सं0-34/2026, धारा- 305(ए),331(4),109,317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि. थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —*

उप निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष अहरौरा मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक मुनीराम यादव व आशीष कुमार सिंह मय पुलिस टीम।